न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./83/2022/बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. आईदानराम पुत्र जवाराराम 2. श्रीमती केंकूदेवी पत्नी तगाराम 3. केशराराम पुत्र हदाराम 4. खेताराम पुत्र तगाराम 5. खमाणाराम पुत्र जवाराराम 6. नीम्बाराम पुत्र जवाराराम 7. माधाराम पुत्र तगाराम 8. रूगाराम पुत्र तगाराम 9. शंकराराम पुत्र जवाराराम 10. शम्भूराम पुत्र जवाराराम जाति माली निवासी आरंग तहसील शिव जिला वाड़मेर	1. कानाराम पुत्र हदाराम जाति माली निवासी आरंग तहसील शिव जिला बाड़मेर 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2021 बअनवान कानाराम बनाम आईदानराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भीमाराम कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बालाराम गोदारा रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 27.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा आरंग पटवार क्षेत्र आरंग तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 127, 494/127 रकबा 1.9182 व 0.1214 हैक्टयर कुल रकबा 2.0396 हैक्टयर की आई हुई है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01, 05, 06, 09 व 10 प्रत्येक का 1/20—1/20 हिससा, प्रतिवादी संख्या 02, 04, 07, व 08 प्रत्येक का हिस्सा 1/16—1/16 हिस्सा

प्रतिवादी संख्या 03 का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। हस्तगत वाद में उपरोक्त हिस्सों की घोषणा कर अपीलकर्ता की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार शिव से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद कों निर्णित करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम किये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रजिस्टर्ड सम्मनों की डिलेवरी के संबंध में डिलेवरी रिपोर्ट पेश की गई। अपीलांटगण जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंवित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। प्राथमिक डिक्री जारी करने के बाद उतरदाता संख्या 01 अपने साथ हल्का पटवारी को लेकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आया जिस पर अपीलांटगण द्वारा पटवारी से पूछताछ करने पर सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया जिस पर अपीलांटगण ने आलोच्य आदेश की नकल दिनांक 28.06.2022 को प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण के नाम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये जिसकी डिलेवरी रिपोर्ट कंफर्म पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2021 बअनवान कानाराम बनाम आईदानराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.04.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर